क्रम-सं0-42

रजिस्ट्रेशन नं0–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 2024
28 फाल्गुन, शक संवत् 1945

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

———

संख्या : 946/वि0स0/89(सं)/2022

लखनऊ, दिनांक 18 मार्च, 2024

———

अधिसूचना

———

प्रकीर्ण

चूंकि, इस सचिवालय की अधिसूचना सं0 : 2171/89/सं0/2022, दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा, अमेठी को लोक लेखा समिति में सदस्य के रूप में नामित किया गया था;

और, चूंकि, श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा, अमेठी ने उक्त समिति से दिनांक 12 मार्च, 2024 को त्याग-पत्र दे दिया है, जिसे मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया है;

अतः सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-204 (2) के अन्तर्गत श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा, अमेठी का स्थान ''लोक लेखा समिति'' में दिनांक 12 मार्च, 2024 से रिक्त हो गया है।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 49 राजपत्र (485)-18-03-2024-585+15 प्रतियां।